सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0–65/2023 **दिनांक– 20 फरवरी 2023**

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक ने 71वीं अन्तर जनपदीय पुरूष/महिला फुटबाल प्रतियोगिता- 2023 वाराणसी जोन का किया उद्घाटन; प्रतियोगिता में कुल 09 जनपदों के 182 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग।

आज दिनांक- 20.02.2023 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य** द्वारा जनपद के शिब्ली नेशनल कालेज में आयोजित **71वीं अन्तर जनपदीय पुरूष/महिला फुटबाल प्रतियोगिता- 2023 वाराणसी जोन** का उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 09 जनपद (कमिश्नरेट वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ, भदोही व मिर्जापुर) के 182 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग लिया है। जनपद आजमगढ़ से 33, जौनपुर से 18, मिर्जापुर से 27, बलिया से 14, सोनभद्र से 15, गाजीपुर से 12, भदोही से 35, मऊ से 15 व कमिश्नरेट वाराणसी से 13 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया गया। यह प्रतियोगिता दिनांक- 20.02.2023 से 22.02.2023 तक चलेगी। उद्घाटन के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर गोपाल स्वरूप बाजपेयी व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजुद थे।

थाना कोतवाली जीयनपुर

छेड़खानी के अभियोग में एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण -दिनांक – 18/02/2023 को वादी कोतवाली जीयनपुर आजमगढ उपस्थित थाना आकर सूचना दिया कि विपक्षी द्वारा मेरी पुत्री के साथ छेडखानी तथा विरोध करने पर भद्दी - भद्दी गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना एवं जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 104/2023 धारा 354/323/504/506 भादवि बनाम गोविन्द सोनकर S/O गोपाल सोनकर निवासी मु0 जानकीपुरम न0पं0 अजमतगढ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ आदि पंजीकृत है जिसकी विवेचना उ.नि. राजेन्द्र प्रसाद पटेल द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में -

गिरफ्तारी का विवरण – आज दिनांक—20/02/2023 को उ.नि. राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गोविन्द सोनकर पुत्र गोपाल सोनकर निवासी वार्ड नं0 03 जानकीपुरम नगर पंचायत अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम अजमतगढ़ से समय करीब 12.20 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-- मु0अ0सं0 104/2023 धारा 354क/323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर जनपद- आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास– मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- गोविन्द सोनकर पुत्र गोपाल सोनकर निवासी वार्ड नं0 03 जानकीपुरम नगर पंचायत अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ.नि. राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह थाना कोतवाली जीयनपुर,आजमगढ़।

थाना- मुबारकपुर

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनाक 13.02.2023 को वादी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी कि वादी की बहन पीड़िता के साथ अभियुक्त अम्बुज जायसवाल पुत्र गोविन्द जायसवाल निवासी कटरा बलुआ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने शादीशुदा पीड़िता को फोन से धमकी दी गयी तथा आवेदक की बहन का फोटो व्हाट्सएप व फेसबुक पर भेजा गया तथा खुद शादी करने के लिए झांसा देना मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0063/2023 धारा 354ग/506 भादवि व 3(1)द एससी एसटी एक्ट व 67 आईटी एक्ट बनाम अम्बुज जायसवाल पुत्र गोविन्द जायसवाल निवासी कटरा बलुआ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी सदर जनपद आजमगढ़ महोदय द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 376/506 भादवि व 3(1)द,ध व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट मे प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक- 20.02.2023 को व0उ0नि0 श्री सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अम्बुज जायसवाल पुत्र गोविन्द जायसवाल निवासी कटरा बलुआ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को रोडवेज तिराहे के पास से समय करीब 12.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। नियमानुसार थाना हाजा लाकर दाखिला कराया गया अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1- अम्बुज जायसवाल पुत्र गोविन्द जायसवाल निवासी कटरा बलुआ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 63/2023 धारा 376/506 भादवि व 3(1)द,ध व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- व0उ0नि0 श्री सुरेश सिंह यादव मय हमराह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

थाना अतरौलिया

लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1. पूर्व का विवरण- दिनांक 05.01.2023 को अभियुक्त उपेन्द्र उर्फ एम्पी कन्नौजिया पुत्र रामचन्द्र कन्नौजिया निवासी ग्राम शीतलापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ वादिनी की 17 वर्ष की नाबालिग लड़की को बहलाफुसला कर अगवा कर लिया। जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 09/23 धारा 363 IPC बनाम उपेन्द्र उर्फ एम्पी कन्नौजिया पुत्र रामचन्द्र कन्नौजिया निवासी ग्राम शीतलापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था। विवेचना हेतु उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव को प्राप्त हुआ।

2. गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक- 20.02.2023 को उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव मय हमराही हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अपहृता एवं वांछित अभियुक्त सोनू यादव पुत्र राधेश्याम निवासी हैदरपुर खास थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को सर्विलांस सेल व प्रभारी निरीक्षक द्वारा जरिये मोबाईल अवगत कराया गया कि अपहृता व अभियुक्त भीवंडी ठाणे में लोकेशन मिल रही है। उस सूचना पर प्रस्थान **कर ठाणे मुंबई (महाराष्ट)** पहुँच कर दिनांक 17.02.23 को मु0अ0सं0 09/23 धारा 363/366 IPC से सम्बंधित अपहृता व अभियुक्त उपेन्द्र कन्नौजिया उर्फ एमपी पुत्र रामचन्द्र कन्नौजिया निवासी शीतलपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ की बरामदगी/गिरफ्तारी कर अपहृता को महिला का0 दीपिका तिवारी को सुपुर्द किया गया व अभियुक्त उपेन्द्र कन्नौजिया को ट्रांजिट रिमांड हेतु माननीय न्यायालय CJM ठाणे महाराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपेन्द्र का दिनांक 21.02.23 तक ट्रांजिट रिमांड स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात पुलिस अभिरक्षा में लाकर आजमगढ़ लाकर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमांड हेतु नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 09/23 धारा 363/366 थाना अतरौलिया आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. उपेन्द्र उर्फ एम्पी कन्नौजिया पुत्र रामचन्द्र कन्नौजिया निवासी ग्राम शीतलापुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 उमेश चन्द्र यादव 2. का0 प्रवीण कुमार 3. म0आ0 दीपिका तिवारी अतरौलिया जनपद आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.02.2023 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति जो अपने साथ अवैध तमन्चा लेकर घूमता है तथा जो वर्तमान में प्राईमरी स्कूल बर्जी तिराह पर पहूचा है इस सूचना पर तत्काल उ0नि0 मय हमराही के प्राईमरी स्कूल बर्जी तिराहा के पास से उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया उसने अपना नाम कृष्णा राय पुत्र उमेश राय उम्र 27 वर्ष नि0 ग्राम डेहरी थाना केराकत जनपद जौनपु बताया । उसके कब्जे से एक अदद तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ । जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर समय 5.40 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- कृष्णा राय पुत्र उमेश राय नि0 ग्राम डेहरी थाना केराकत जनपद जौनपुर उम्र करीब उम्र 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 36/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कंधरापुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 33/2023 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना केराकत जौनपुर
2. मु0अ0स0 34/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना केराकत जौनपुर
3. मु0अ0स0 74/2021 धारा 379/411/382 भादवि थाना केराकत जौनपुर
4. मु0अ0स0 441/2020 धारा 379/411/419/420 भादवि थाना केराकत जौनपुर
5. मु0अ0स0 80/2021 धारा 379/411 भादवि थाना गौराबादशाहपुर जौनपुर
6. मु0अ0स0 90/2021 धारा 411/413/414/420/419/467/468/471 भादवि थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर

बरामदगी- 01 अदद तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस .12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह थाना कंधरापुर आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

शातिर अपराधी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

आज दिनांक 20/02/23 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के हटवा जियासड रोड पर पम्प ही पोखरा के पास अभियुक्त अम्बुज शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा ग्राम गहुनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष को एक अदद तमंचा 303 बोर व एक जिंदा कारतुस 303 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट का दण्डनीय अपराध बताकर कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.20 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 60/23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु.अ.सं. 60/23 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 103/2018 धारा 380/457/411 भादवि थाना तरवा, जनपद आजमगढ़
2. **मु.अ.सं. 58/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़**
3. मु.अ.सं. 60/2023 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-अम्बुज शर्मा पुत्र महेन्द्र शर्मा ग्राम गहुनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी – अवैध अदद तमंचा व जिन्दा कारतूस .303 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह का0 इलियास अली थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज

गैर इरादतन हत्या में वांछित अभियुक्त आकाश गिरफ्तार

पूर्व का विवरण- दिनांक- 19.02.2023 को वादिनी निर्मला देवी पत्नी स्व0 खुनखुन राजभर ग्राम पुष्पनगर थाना दीदारगंज आजमगढ के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 31/23 धारा 323,504,506,308,304 भादवि बनाम आकाश पुत्र मेवालाल ग्राम पुष्पनगर थाना दीदारगंज आजमगढ पंजीकृत हुआ था जिसमें अभियुक्त आकाश राजभर उपरोक्त फरार चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक- 20.02.2023 को प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश राजभर पुत्र मेवालाल राजभर ग्राम पुष्पनगर थाना दीदारगंज आजमगढ़ को पुष्पनगर बाजार के पास से समय 08.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अन्य कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. आकाश राजभर पुत्र मेवालाल राजभर ग्राम पुष्पनगर थाना दीदारगंज आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 31/23 धारा 323,504,506,308,304 भादवि थाना दीदारगंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 विजय प्रताप सिंह मय हमराह थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना- बरदह

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण -दि0 17.11.22 को वादिनी/पीडिता थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि विपक्षी विवेक यादव पुत्र तेरस यादव सा0 पिलखुआ थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा वादिनी को नौकरी दिलाने के नाम पर अपने साथ प्रयागराज ले जाकर दुष्कर्म किया गया, के संबंध मे थानास्थानीय पर मु0अ0सं0- 372/22 धारा 376 भा0द0वि0 बनाम 1. विवेक यादव पुत्र तेरस यादव सा0 पिलखुआ थाना बरदह आजमगढ़ पंजीकृत किया गया एवं विवेचना उ0नि0 कमला सिंह यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा 506 भादवि की बढोत्तरी करते हुए अभि0 1.तेरस यादव पुत्र स्व0 किशोर यादव 2.पूरन यादव पुत्र स्व0 किशोर यादव 3.मकबूल पुत्र नसीब निवासीगण ग्राम पिलखुआ थाना बरदह आजमगढ का नाम प्रकाश मे आया है । इसी के क्रम मे-

2- गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 20.02.23 को उ0नि0 कमला सिंह यादव मय उ0नि0 जुबैर अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभि0 विवेक यादव पुत्र तेरस यादव सा0 पिलखुआ थाना बरदह आजमगढ को जिवली तिराहे के पास से समय करीब 11.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 372/22 धारा 376/506 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- . विवेक यादव पुत्र तेरस यादव सा0 पिलखुआ थाना बरदह आजमगढ 21 वर्ष

पुलिस टीम-

कमला सिंह यादव (उ0नि0) मय हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना- गम्भीरपुर

चोरी की घटना का अनावरण; चोरी के माल सहित 02 अभियुक्त अवैध कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक 16.02.2022 को श्री आशुतोष प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय महँगूपुर वि.ख. ठेकमा जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि आज दिनांक 16.02.2023 को प्रातः 09.00 बजे जब मै विद्यालय पहुँचा तो देखा कि अज्ञात चोर द्वारा किचेन के दो कमरों का ताला तोड़कर किचेन से गैस चूल्हा तथा आफिस से स्टेबलाइजर तथा आलमारी मे रखा कैमरा चोरी कर लिये तथा स्कूल मे लगा सबमसिर्बल की पाइप भी तोड़ दी गई जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 51/2022 धारा 457/380/427 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ.नि. ओमकारनाथ पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही थी

आज दिनांक 20.02.2023 तो थानाध्यक्ष गंभीरपुर विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1. गोलू पुत्र कैलाश निवासी ठोठिया थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़, 2.सोनू पुत्र रामचरन निवासी ठोठिया थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को गोसाई की बाजार के पास से समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद कारतूस 315 बोर तथा बोरी में लिए हुए एक अदद गैस चुल्हा व 1670 रूपये नगद बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 16.02.2023 को ग्राम मंहगुपुर विद्यालय हम दोनो लोग ताला तोडकर एक गैस चुल्हा एक इस्टेपलाईजर तथा आलमारी में रखा एक कैमरा चोरी किये थे तथा समर सिबल की पाइप को व केबिल को तोड व काट दिये थे कैमरा स्टोब्लाइजर के बारे में पूछा गया तो बताये कि उसे हम दोनो ने आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर को चार हजार रूपये में बेच दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त

1.गोलू पुत्र कैलाश निवासी ठोठिया थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

2.सोनू पुत्र रामचरन निवासी ठोठिया थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

बरामदगी:- 01 अदद कट्टा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस**, एक अदद चोरी का चूल्हा व 1670 रूपया नगद**

पंजीकृत अभियोग:-

मु.अ.स 57/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

मु.अ.स. 51/2023 धारा 457/380/427/411 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम ::

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. उ.नि. शिवसागर यादव चौकी प्रभारी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
3. हे.का. मोती चन्द चौकी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
4. का0 शिवानन्द चौधरी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
5. म.का. साहिना परवीन थाना गम्भीरपुर आजमगढ़